झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में संशोधन हेतु विधेयक

विषय सूची

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2.	झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 का संशोधन।
3.	झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 के बाद अन्तस्थापन।
4.	झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 के बाद अन्तस्थापन।
5.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–23 का संशोधन।
6.	झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–23 (7) के बाद अन्तस्थापन।
7.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–25 का संशोधन।
8.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–26 का संशोधन।
9.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–28 का संशोधन।
10.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–29 का संशोधन।
11.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–33 का संशोधन।
12.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–35 का संशोधन।
13.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–41 के बाद नई धारा–41क का अन्तःस्थापन।
14.	झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–42 का संशोधन।
15.	48–क– अध्याय का सहकारी बैंकों पर लागू होना।
	48–ख– विभाजन, समामेलन, समझौता आदि।
	48–ग– सहकारी बैंको की प्रबन्ध समिति का अवक्रमित किया जाना।
	48–घ– परिसमापन आदेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा।
	48–ड.– निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति।
	48–च– रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा की अंतिमता।

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावना: –

चूँकि, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठन के साथ सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से समितियाँ अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रुप में कार्य कर सकेंगी;

और, चूँकि, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी आवश्यकता हो;

और, चूँकि, संविधान के सन्तानवे संशोधन अधिनियम, 2011 के आलोक में झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 में कई संशोधन आवश्यक है;

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : – (1) यह अधिनियम झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 का संशोधन।– झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा–2 में निम्नलिखित संशोधन की जायेगी, यथा:–

   उपधारा (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी; यथा :–

   (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, जिस नाम से भी उसे अभिहित किया गया हो, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

3. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–2 की उपधारा–(त) के बाद निम्नलिखित उपधारा–(थ) जोड़ा जायेगा, यथा **(थ) "शीर्ष समिति"** से अभिप्रेत है, सहकारी समिति जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य हो अथवा अन्य कोई सहकारी संघ/परिसंघ जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में हो और जिसे सहकारी समिति के निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में घोषित किया गया हो।

4. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा–2 के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–2 की

उपधारा--(थ) के बाद निम्नलिखित उपधारा--(द) जोड़ा जायेगा, यथा **(द) "क्रियाशील निदेशक"** से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विर्निदिष्ट समिति के क्रियाशील कार्यपालक निदेशक।

5 झारखण्ड अधिनियम 2 1997 की धारा--23 का संशोधन। -- उक्त अधिनियम की धारा--23 मे निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथाः--

(क) उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-- (7) सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया कोई भी व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों, जिसमें मताधिकार भी शामिल है, का प्रयोग सहकारी समिति की उपविधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबन्धन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम उपस्थिति तथा समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं के न्यूनतम स्तर तक उपयोग के बाद ही करेगा;

परन्तु कोई व्यक्ति कम से कम एक वर्ष तक सदस्य बने रहने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रथम वर्ष में प्रवर्त्तक सदस्य पर लागू नही होगा।

6. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा--23 (7) के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा--23 की उपधारा (7) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएँ (8), उपधारा (9) तथा उपधारा (10) जोड़ी जायेगी, यथा--

(8) प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक सदस्य को ऐसे सदस्य के साथ उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक पहुँच के लिए उपबंध करेगा।

(9) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित्त संव्यवहारों के लेखाओं के सम्बन्ध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त कर सकेंगे। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक/प्रबन्धक सदस्य को सभी वांछित जानकारी/कागजात सुगम करायेंगे।

(10) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली या उपविधियों में विहित प्रावधानों के अधीन शिक्षा तथा सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा--25 का संशोधन। -- उक्त अधिनियम की धारा--25 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, यथाः--

(क) उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः--

(1) अधिनियम तथा उपविधियों के उपबंधों के अधीन किसी सहकारी समिति का अंतिम प्राधिकार इसके सामान्य निकाय में निहित होगा। प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर उपधारा (3) के अध्यधीन सभी अथवा किसी विषय पर विचार किया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) (क) एवं (ख) विलोपित की जायेगी।

8. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–26 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–26 की उपधारा–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:–

(2) बोर्ड का आकार उपविधियों के अनुसार पदधारियों सहित अधिकतम इक्कीस सदस्यों का होगा। मुख्य कार्यपालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। समिति के बोर्ड में बैंकिग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरुप अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रुप में बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जायेगा।

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और ये बोर्ड की कुल संख्या से अतिरिक्त होगा।

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के कारण मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड में पदधारी के रुप में निर्वाचित हो सकेंगे।

परन्तु यह और कि सहकारी समिति के क्रियाशील निदेषक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गणना बोर्ड की कुल संख्या में नहीं की जायेगी;

परन्तु और भी कि प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस 50 प्रतिशत आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दो स्थान वैसी समितियों में आरक्षित होंगे, जिन समितियों में उक्त वर्ग या कोटि से सदस्य होंगे। इस प्रकार से आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला का पद निर्वाचन या/और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे।

9. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–28 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–28 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:–

28. पदावधि – किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदधारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदधारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि का सहविस्तारी होगा;

परन्तु बोर्ड में किसी कारणवश हुई रिक्ति को बोर्ड द्वारा उन्ही वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जायेगा, जिन से सम्बन्धित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड की पदावधि इसकी मूल पदावधि से आधे से कम बाकी हो;

परन्तु यह और कि किसी सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो, और बोर्ड में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि के लिए सहकारी समिति द्वारा विशेष आम सभा में उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा;

परन्तु यह और भी कि प्रथम बोर्ड की कार्यावधि सहकारी समिति के निबन्धन की तारीख से लेकर बारह माह से अधिक की नहीं होगी।

10. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–29 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–29 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, यथाः–

(क) उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

(1) सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी पदधारी बोर्ड की होगी।

(ख) उपधारा–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

(2) निर्वाचन, पदावरोही निदेशक की पदावधि समाप्ति के पूर्व झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन सहकारी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संचालित किया जायेगा।

(ग) उपधारा–(3) विलोपित की जायेगी।

11. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–33 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–33 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, यथाः–

(1) सहकारी समिति अपने लेखाओं की लेखा–परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक, चाटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत चाटर्ड एकाउन्टेंट होगा या निबन्धक के कार्यालय का होगा। निबंधक, सहयोग समितियाँ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक की न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण समय–समय पर किया जाएगा। केवल ऐसे अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु योग्य होंगे।

(ख) उपधारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

(4) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उपधारा (1) में सन्दर्भित अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा की जायेगी। अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा, जो निबंधक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

(ग) उपधारा (10) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (11) जोड़ी जायेगी, यथाः–

(11) शीर्ष सहकारी समिति के द्वारा अपने लेखाओं के लेखा परीक्षण के उपरान्त लेखा–परीक्षक का प्रतिवेदन समिति के सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जायेगा ताकि उक्त रिपोर्ट को राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के अधीन विधान मण्डल के पटल पर रखा जा सके।

12. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–35 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–35 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

35 वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना : – प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषयवस्तु सन्निहित रहेंगे :–

(क) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखाओं का लेखा–परीक्षित विवरण,

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटाव हेतु योजना,

(घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ङ) निर्वाचन यदि देय हो, तथा सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख से संबंधित घोषणा,

(च) निबन्धक द्वारा संसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक, कोई अन्य सूचना।

13. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–41 के बाद नई धारा–41क का अन्तःस्थापन : – उक्त अधिनियम की धारा–41 के बाद निम्नलिखित नई धारा–41क अन्तःस्थापित की जायेगी, यथाः–

41क. अधिकरण द्वारा बोर्ड का अवक्रमण : – (1) सहकारी समिति के सदस्य द्वारा दिये गये आवेदन पर यदि अधिकरण की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड जिस सहकारी समिति में राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी गई हो अथवा ऋण के लिए गारंटी दी गई हो, लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो अथवा इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो या सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कार्य की हो या बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो या झारखण्ड राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम् और नियमावली के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन के संचालन में असफल हो जाये, तो उस सहकारी समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छह माह के लिए अधिक्रमित कर सकेगी और आदेश दे सकेगी कि इसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विहित कालावधि पाँच वर्ष से अनधिक तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए अयोग्य होंगे। निबंधक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को अभिलिखित करेंगे और निबन्धित डाक से सम्बन्धित सहकारी समिति को सूचित करेंगे;

परन्तु कि ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिग कारोबार कर रही हो, बैंकिग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे;

परन्तु और कि बैंकिग का कारोबार करने वाले ऐसी सहकारी समिति के मामले में बोर्ड के अवक्रमण की अवधि एक वर्ष की होगी

परन्तु और भी कि बैंकिग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के मामले में बोर्ड का अवक्रमण रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) जब कोई सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन अधिक्रमित की जायेगी तो अधिकरण सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेगी। नियुक्त प्रशासक इस उपधारा के अधीन विनिर्धारित अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को समिति के प्रबन्ध का कार्यभार सौंप देंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए अधिकरण द्वारा ऐसा पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा जो वह उचित समझे। निर्धारित पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतेय होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, अधिकरण द्वारा निर्मित सेवा शर्त्तो के अध्यधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे;

परन्तु अधिकरण को अवक्रमण की अवधि में प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी।

14. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा–42 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–42 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि –

(क) एक सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये या मिथ्या सूचना दे अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निबन्धक को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर जानबूझकर कोई सूचना नहीं दें, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जानबुझकर अथवा बिना किसी युक्तिसंगत सफाई के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करें, अथवा

(ग) कोई नियोक्ता बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती गई राशि को कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर एक सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा

(घ) कोई सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक अपने अभिरक्षा में रखनेवाली सहकारी समिति के पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रभार अधिकृत व्यक्ति को सौपने में असफल हो, अथवा

(ङ) कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा पश्चात् भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो।

15.

अध्याय 10 क

सहकारी बैंक

48–क– अध्याय का सहकारी बैंकों पर लागू होना :– (1) इस अध्याय के उपबन्ध निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट), 1996 (47ए 1961) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक पर, इस अधिनियम के अन्य भागों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त, लागू होंगे। जहाँ प्रकट अथवा विवक्षित अन्य असंगति का कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहाँ इस आशय के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य भागों के उपबन्धों पर प्रभावी होंगे।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, निक्षेप बीमा निगम से तात्पर्य है– निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47, 1961) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम और रिजर्व बैंक से तात्पर्य है– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 (2, 1934) के अधीन स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

48–ख– विभाजन, समामेलन, समझौता आदि :– (1) किसी सहकारी बैंक के बारे में समझौता या व्यवस्था या उसके समामेलन या पुनर्निमाण अथवा उसकी अस्तियों और दायित्वों के विभाजन या अंतरण की कोई स्कीम मंजूरी करने के आदेश रिजर्व बैंक की पूर्वलिखित मंजूरी के बिना न दिया जाएगा।

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के सम्बन्ध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेगुलेशन्स एक्ट) 1949 (10, 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया हो, वहाँ रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के पूर्वलिखित अनुमोदन से अधिस्थगन की अवधि में निम्नलिखित स्कीम तैयार करा सकेगा :–

(i) सहाकरिता बैंक के पुनर्निर्माण के लिये, या

(ii) किसी अन्य सहकारिता बैंक (इसमें आगे "अंतरिती बैंक" के रूप में निर्दिष्ट) के साथ उसके समामेलन के लिये।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि कोई सहकारिता बैंक जो निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेट ऐक्ट), 1961 (47, 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था अथवा पुनर्निर्माण की कोई स्कीम मंजूर की गई हो और निक्षेप बीमा निगम, उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने का भागी हो गया हो, तो ऐसा समामेलन के बाद गठित नया सहकारिता बैंक अथवा, यथास्थिति बीमाकृत या अंतरिती बैंक, उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से, निक्षेप बीमा निगम को प्रतिसंदत्त करने की मध्यता के अधीन होगा।

48–ग– सहकारी बैंको की प्रबन्ध समिति का अवक्रमित किया जाना :– इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि इसकी अपेक्षा रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में लोकहित में अथवा किसी सहकारी बैंक के काम–काज की निक्षेपकर्त्ताओं के हित में अहितकर होने देने से रोकने के लिये या सहकारी बैंक का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये की जाय तो रजिस्ट्रार, ऐसी शर्तों पर और कुल मिलाकर पाँच वर्षो से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, उस सहकारी बैंक की प्रबन्धक समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय को (चाहे वह जिस किसी नाम से भी कहा जाय) अवक्रमित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित करेगा।

48–घ– परिसमापन आदेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा :– (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना परिसमाप्त नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऐक्ट), 1961 (47, 1961) की धारा 13–घ में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा यदि रजिस्ट्रार से वैसी अपेक्षा की जाय तो वह किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश देगा।

48–ड.– निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति :– जहाँ कोई सहकारी बैंक निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47, 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमाप्त हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्त्ताओं को भुगतान करने की दायी हो जाए तो निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिपूर्ति की जायगी।

48–च– रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा की अंतिमता :– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी जहाँ रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से या उसके द्वारा अध्यपेक्षा करने पर –

(i) किसी सहकारिता बैंक के परिसमापन का आदेश दिया जाय, या

(ii) उसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या समामेलन की स्कीम बनाई जाय, या

(iii) उसके सम्बन्ध में उसकी प्रबन्धक समिति किसी अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे जिस किसी नाम से भी कहा जाय) के अधिष्ठापन और उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति का आदेश दिया जाय,

वहाँ इसके विरूद्ध न तो कोई अपील पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन किया जायगा और न वह अनुज्ञेय ही होगा तथा रिजर्व बैंक की ऐसी मंजूरी या अध्यपेक्षा पर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 41--50--16-10-2015 ।